निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 536/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

श्री मूलचंद कुमावत पुत्र श्री नारायण लाल जाति कुमावत, निवासी मांगू मोरवाल की ढाणी, हिरनोदा, जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम, जिला जयपुर।
2. श्री विरेन्द्र चौधरी पुत्र श्री गोविन्दनारायण चौधरी, जाति जाट निवासी छिल्लू वाली ढ़ाणी, ग्राम शुभरामपुरा, पोस्ट भग्गौरी, तहसील कालवाड़, जिला जयपुर।
3. श्रीमती फूला देवी पुत्री श्री कानाराम,
4. श्रीमती भूरी देवी पत्नी श्री कानाराम,
5. श्री सुरज्ञाना पुत्र श्री बोदू,
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम बिन्दायका, तहसील व जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 81/2025 ब–उनवानी विरेन्द्र बनाम फूला व अन्य को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने।

जिला कलक्टर जयपुर (राजस्थान)

1. श्री हंसराज घोसल्या, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री निर्मल, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।

निर्णय दिनांक 08.09.2025

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम, जिला जयपुर के समक्ष प्रकरण संख्या 81/2025 ब–उनवानी विरेन्द्र बनाम फूला व अन्य विचाराधीन है, जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण करने का निवेदन किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम, जिला जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अभिभाषक श्री निर्मल उपस्थित हुये।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा एक प्रकरण संख्या 81/2025 ब–उनवानी विरेन्द्र बनाम फूला व अन्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया हुआ है। उक्त वादग्रस्त भूमि में दावा दायरी से पूर्व ही हंसा सिटी के नाम से आवासीय कॉलोनी विकसित हो चुकी है, जिसमें मौके पर रोड डालकर बाउंड्रीवाल बनाकर

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

भूखण्डधारी पुश्तैनी तामीरात कर मौके पर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। उक्त खसरा संख्या के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार सुरजान पुत्र बोदू से जरिये विक्रय प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि में 91.66 वर्गगज भूमि क्रय की है, तत्पश्चात भी अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को बिना पक्षकार बनाए उक्त वाद पेश किया है। प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रस्तुत किया है। दिनांक 21.7.2025 को अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थी को धमकी दी कि मेरी पीठासीन अधिकारी से बात हो चुकी है और उन्होने उक्त प्रकरण का निस्तारण मेरे पक्ष में करने हेतु मुझे आश्वस्त कर रखा है। अप्रार्थी संख्या 2 पीठासीन अधिकारी से मिलीभगत कर उक्त प्रकरण में अपने पक्ष में निर्णय करवाने पर आमादा है। पीठासीन अधिकारी ने भी कहा कि उक्त पत्रावली उनके निजी मिलने वाले की है, इसलिए मैं इस पत्रावली का निस्तारण आपके विरूद्ध करेंगे। प्रार्थी को अन्देशा हो गया कि अप्रार्थी संख्या 2 पीठासीन अधिकारी से मिला हुआ है तथा पहले से ही उक्त प्रकरण को प्रार्थी के विरूद्ध निस्तारित करने का मानस बना रखा है, जिससे प्रार्थी को न्याय की उम्मीद नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध है।

अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी ने प्रकरण का निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मंशा से काल्पनिक, मिथ्या व मनघडन्त आरोप लगा कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः इस मुन्तकिल प्रार्थना को खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम, जिला जयपुर से प्राप्त टिप्पणी में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपो के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी के केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम, जिला जयपुर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 08.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर